

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

पत्रांक ११९

/ मा0प्लान/जोन-1/2016

दिनांक ०५-०३-२०१६

सेवा में,

मैसर्स यूरेका बिल्डर्स प्रा.लि.(कन्सार्टियम लीड मेम्बरर्स कम्पनी)

द्वारा- श्री पीयूष कुमार,

पता- 119, बाग भटियारी, निकट पालिका बाजार,

जी0टी0रोड, गाजियाबाद

महोदय/

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक-07/9/15 के सन्दर्भ में खसरा संख्या-1097एम एवं 1098एम, ग्राम मोरटा, गाजियाबाद पर समाजवादी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र संख्या-394/जोन-1/ग्रुप-हाउसिंग/15-16 की उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक-20/10/15 को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है-

1. यह मानचित्र स्वीकृति तिथि से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय(जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0)किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसको शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
5. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
6. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री(बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध विकासकर्ता को स्वयं करना होगा।
7. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जॉब की जा सके तथा निर्माण स्वीकृत मानचित्रों, स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्ही की होगी।
8. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
9. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
10. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
11. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्रों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
12. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ लगाना अनिवार्य होंगे।
13. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन निर्माण कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण-पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
14. 12.00 मीटर से अधिक ऊँचे तमस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अपर्याप्त सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्पराधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

क्रमशः—2



15. संरचनासुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
16. भवन के उपयोग से पूर्व सम्पूति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। एवं सम्पूति प्रमाण-पत्र से पूर्व रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने होंगे।
17. निर्धारित 24.00 मीटर महायोजना मार्ग के विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोड़ते हुए निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा। बाउण्ड्री-वाल का निर्माण रोड वाईडनिंग की भूमि के वाद किया जायेगा।
18. 10 प्रतिशत आवश्यक ग्रीन जन सामान्य हेतु छोड़ना होगा।
19. भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा तहसील एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि चिह्नित कराकर ही निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
20. उक्त क्षेत्र में 75 प्रतिशत बाह्य विकास शुल्क जमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कराये जायेंगे।
21. नाली, चकरोड, ग्राम समाज व निगम/सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
22. अधिष्ठान एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।
23. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जाये, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिड़काव किया जाय एवं डस्ट सस्पेंशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जाये।
24. उक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें स्वीकृत मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरप्पा है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक- एक सैट स्वीकृत मानचित्र

मुख्य वास्तुविद एवं नगर-नियोजक-6
दिनांक-

पृ0संख्या- /मास्टर प्लान, जोन-1/16

प्रतिलिपि- प्रवर्तन खण्ड, जोन-1 को मानचित्र का एक सैट संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

पत्र सं. 1031
सेवा में,

10/11/2017

दिनांक 15/09/2017

मै. यूरेका बिल्डर्स प्रा.लि. (कन्सोर्सियम कम्पनी)
119, बाघ भटियारी, नियर पालिका बाजार
जी.टी. रोड, गाजियाबाद-201001

विषय: खसरा सं. 1097 व 1098 ग्राम मोरटा, गाजियाबाद पर आप द्वारा प्रस्तुत समाजवादी आवासीय योजना (अफोर्डेबल हाउसिंग) मानचित्र सं.-394/जोन-1/15-16 दिनांक 07.09.15 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना-पत्र दिनांक 13.08.17 के क्रम में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 24.08.17 द्वारा 15 प्रतिशत भूमि क्षेत्रफल 6610.82 वर्गमी. (A) विकास कार्यों के सापेक्ष एवं 10 प्रतिशत भूमि क्षेत्रफल 4407.21 वर्गमी. (B+C) ईडब्लूएस/एलआईजी भवनों के निर्माण के सापेक्ष बन्धक रहेंगी। अतिरिक्त शर्तें संशोधित मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरपा कर दी गयी हैं। पूर्व में निर्गत मानचित्र सं.-394/जीएमपी/जीएच/जोन-1/15-16 दिनांक 20.10.15 के अनुसार आन्तरिक विकास शुल्क के सापेक्ष बंधक रखे गये समस्त 335 भवनों को अवमुक्त कर दिया गया है। शेष नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।
संलग्न-संशोधित मानचित्र।

भवदीय

(इशतियाक अहमद)

मुख्य नगर नियोजक

पृष्ठांकन :

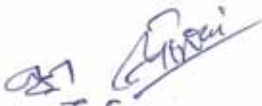
दिनांक :

प्रतिलिपि :- प्रवर्तन खण्ड जोन-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य नगर नियोजक

अतिरिक्त शर्तें :-

1. विकासकर्ता द्वारा योजना का क्रियान्वयन डी.पी.आर. के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष/विस्तारित अवधि के अन्दर प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता को विकास शुल्क, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क व स्टाम्प-शुल्क के रूप में दी गयी छूट तथा अन्य इन्सेन्टिव वापस ले लिये जायेंगे।
2. अतिरिक्त विकास शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा व विकासकर्ता को मान्य होगा एवं इस हेतु विकासकर्ता को शपथ-पत्र दिनांक दिया गया है।
3. विकासकर्ता द्वारा योजना के विकास/निर्माण कार्य पूर्ण किये बिना भूमि अथवा उसके किसी भू-भाग का हस्तान्तरण/सब-लीजिंग अनुमन्य नहीं होगी। उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता को प्रदत्त समस्त रियायतें/इन्सेन्टिव वापस ले लिये जायेंगे।
4. विकासकर्ता डी.पी.आर./परियोजना की स्वीकृति के समय रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर दिये गये शपथ-पत्र दिनांक 07.10.15 के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग के अन्तर्गत निर्मित भवनों की इस नीति के अधीन निर्धारित सीलिंग कॉस्ट से अधिक लागत पर तथा किसी व्यक्ति को एक से अधिक भवन/फ्लैट का आवंटन/विक्री नहीं करेगा।
5. विकासकर्ता द्वारा विकसित योजना की सेवाओं का नगर निगम को हस्तान्तरण होने तक इनके रख-रखाव हेतु अनुबन्ध निष्पादित करना होगा योजनान्तर्गत निर्मित अपार्टमेन्ट्स में कॉमन सुविधाओं के रख-रखाव हेतु उ.प्र. अपार्टमेन्ट अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
6. योजना के विकास एवं निर्माण कार्य अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने हेतु विकासकर्ता द्वारा डवलपर एग्रीमेन्ट एवं परमोरमेन्स गारंटी का निष्पादन करना होगा। योजना के समस्त बाह्य एवं आंतरिक विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर स्वयं क्रियान्वित किये जायेंगे परन्तु कतिपय ट्रंक अवस्थापना सुविधाओं यथा ड्रेनेज, सर्विसेज जल-आपूर्ति आदि के लिए यदि कनेक्टिविटी प्राप्त की जाती है तो प्राधिकरण में समानुपातिक व्यय जमा कराना होगा।
7. अफोर्डेबल हाउसिंग योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य की जा रही विभिन्न रियायतों को ध्यान में रखते हुए भवनों की सीलिंग कास्ट 75 वर्गमी. कार्पेट एरिया की इकाई के लिए अधिकतम रु. 30 लाख होगी, जबकि इससे कम क्षेत्रफल के कारपेट एरिया की इकाईयों के लिए 'प्रो-राटा' आधार पर कम रखनी होगी।
8. परियोजना में सामान्य इकाईयों के सापेक्ष निर्मित किये जाने वाले ईडब्लूएस/एलआईजी भवनों के तल क्षेत्रफल के समतुल्य आवासीय उपयोग का निशुल्क/इन्सेन्टिव एफएआर का प्रस्ताव दिया गया है। इन्सेन्टिव के रूप में अनुमन्य अतिरिक्त एफएआर का उपयोग ईडब्लूएस एवं एलआईजी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा।
9. स्थल पर निर्मित निर्माण को मानचित्र निर्गत किये जाने से पूर्व तोड़ना होगा।
10. भूखण्ड के अन्दर से गुजर रही हाईटेन्शन लाईन के सम्बन्ध में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर 3.11.4 (i), (ii) व (iii) का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
11. आवेदक द्वारा प्रस्तुत समस्त शपथ-पत्रों में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. भवन का उपयोग पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
13. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्परोधी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन व ड्रॉइंग आई.आई.टी रुड़की/दिल्ली/समतुल्य संस्थान से वैट कराकर प्रस्तुत करने के उपरान्त ही मानचित्र निर्गत किया जायेगा, तदनुसार ही स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में कराना होगा। भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब) दिनांक 03.02.01, 772/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.) दिनांक 13.02.01 तथा शासनादेश संख्या 3751/9-आ-1-1-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब) दिनांक 20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-


J. E.


A. T. P.

14. (क) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, अनुबन्धित किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएँ करने के लिए जो डिजाईन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
15. (ख) भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेंट, स्टील/स्टोन ग्रेट, ईटें, कोर्स सैंड एवं मार्टर तथा कंकरीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैंपलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सके।
16. (ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रुकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता: प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक किमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।
17. (घ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट X 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाईन इंजीनियर एवं सुपरविजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उस स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे :-
 - a) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति
 - b) अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ
 - c) अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल्
 - d) अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग जिनमें सैक्शन एवं एलिवेशन तथा सर्विसिज डिटेल् इत्यादि शामिल रहेंगे
 - e) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एन्ड पी. का विवरण
 - f) साईट इंजीनियर इन्सपैक्शन रिपोर्ट रजिस्टर
 - g) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर
18. स्थल पर 50 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से रोपित करना होगा।
19. फायर विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. का पालन करना होगा एवं फायर विभाग द्वारा पूर्णता सम्बन्धी एन.ओ.सी. प्राप्त करने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
20. रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का प्राविधान भवन की फिनिशिंग का कार्य से पहले पूर्ण कराना होगा।
21. सोलर वाटर हीटिंग इक्यूपमेन्ट सिस्टम का प्राविधान बी.आई.एस. कोड के अनुसार एवं शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप करना होगा।
22. रोड वाइडनिंग से प्रभावित भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य न होगा तथा बाउन्ड्रीवाल रोड वाइडनिंग के उपरान्त बनानी होगी।
23. 10 प्रतिशत पार्क जन सामान्य हेतु खुला रखना होगा।
24. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत सर्विस प्लान के अनुसार जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं जैसे-सडक, सीवर, सीवर डिस्पोजल, ड्रेन, ड्रेन डिस्पोजल, पीने के पानी की व्यवस्था इत्यादि का प्राविधान स्थल पर सुनिश्चित करना होगा।


J. K.


A. T. P.

25. भू-गर्भ जल उपयोग किये जाने पर सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति एवं विद्युत भार के लिए विद्युत विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
26. समस्त वाहय एवं आन्तरिक विकास कार्य पक्ष को स्वयं करने होंगे, तथा सीवर डिस्पोजल की व्यवस्था हेतु ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्वयं निर्मित करना होगा।
27. कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी
28. 10 प्रतिशत ग्रीन पार्क के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य एवं शमनीय नहीं होगा।
29. विकलांग व्यक्तियों हेतु नियमानुसार रैम्प का निर्माण करना होगा।
30. विद्युत व्यवस्था हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन से स्वयं कनेक्शन प्राप्त करना होगा।
31. नियमानुसार दर्शित पार्किंग स्थल पर ही पार्किंग करनी होगी, सडक पर पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी। पार्किंग का 10 प्रतिशत visitors parking हेतु आरक्षित रखनी होगी।
32. अन्दर के खुले स्थल/पार्क का उपयोग उसी रूप में करना होगा, अन्य उपयोग की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
33. मानचित्र स्वीकृति, भू-स्वामित्व को प्रभावित नहीं करेगी। भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने तथा सरकारी भूमि पाये जाने की स्थिति में पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा तथा दी गयी स्वीकृत स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
34. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा यदि किसी शुल्क की माँग की जाती है तो उसे पक्ष को जमा कराना होगा।
35. विभिन्न मदों में प्राधिकरण में जमा की जाने वाली धनराशि को जमा किये जाने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही को मानना होगा।
36. सुविधाओं का निर्माण आवश्यक रूप से करना होगा।
37. बेसमेन्ट में मैकेनिकल वेंटीलेशन की व्यवस्था करनी होगी।
38. निर्माण के समय यदि कोई दुर्घटना, जान-माल की हानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
39. अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा मानचित्र निर्गत के एक माह के अन्दर घोषणा पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।
40. सडक के निर्माण के समय एलाइनमेन्ट परिवर्तन की दशा में विकासकर्ता को परिवर्तित एलाइनमेन्ट के अनुसार रोड वाइडनिंग छोडनी होगी तथा इस हेतु विकासकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का विवाद नहीं किया जायेगा तथा समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
41. स्थल पर निर्माण के समय लेबर हेतु जन सुविधाओं का प्राविधान करना होगा।
42. पर्यावरण विभाग से पर्यावरणीय क्लियरेंस(ई0सी0) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
43. हिण्डन एयरफोर्स से हाईट की एन.ओ.सी. प्राप्त करने के उपरान्त ही स्थल पर 20.0 मी. से ऊँचा निर्माण किया जा सकेगा।


J. E.


A.T.P.